


43

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० समक्ष लिंक कोर्ट

रीवा, जिला रीवा (म०प्र०) R. 5050-4715

404
14.9.15



RR-201

दिनेश प्रसाद तनय स्व० श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, निवासी ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

-----नगरानीकर्ता

बनाम

- 1- इन्द्रभान प्रसाद गौतम तनय कौशल प्रसाद, निवासी ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- बृजनाथ प्रसाद गौतम तनय कौशल प्रसाद निवासी ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)
- 3- रामसुजान विश्वकर्मा तनय रामसुख विश्वकर्मा, निवासी ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)
- 4- रामकुमार विश्वकर्मा तनय सरजू, निवासी ग्राम भोलगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म०प्र०)

-----गैरनिगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई०

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० प्रकरण क्र०-3/अ74/14-15 आदेश दिनांक 18/08/15 जिसके द्वारा आवेदक/निगराकार का नक्शा सुधार आवेदन पत्र इस

श्री. सणप. पाठक
द्वारा जमा किया/5
पस्तुत किया गया

14.9.15

एड
के

सिडर
सर्किट कोर्ट रीवा


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5050-II/15

जिला-रीवा

दिनेश प्रसाद/इन्द्रमान प्रसाद

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	